UPSI010005042018

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0), सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0–35/2018

सरकार बनाम मुकेश

अपराध सं0–300/2017
धारा–304 भा0दं0सं0
थाना मछरेहटा, सीतापुर

दिनांक:02–06–2026

पत्रावली पेश हुई। साक्षी उपनिरीक्षक फेरू सिंह ने न्यायालय में उपस्थित आकर स्वंय को सी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया। पत्रावली पर अभियुक्त मुकेश पुत्र लालजी पासी निवासी मटकुटा थाना मछरेहटा जिला सीतापुर की सम्बन्धित थाने से प्राप्त मृत्यु आख्या उपलब्ध है। मृत्यु आख्या में यह बताया गया है कि वारण्टी मुकेश की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में दबिश दी गयी, किन्तु वारण्टी मुकेश उपरोक्त पते पर दस्तयाब नहीं हुआ। गॉव वालों से ज्ञात हुआ कि वारण्टी की दिनांक 02–04–2025 को बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मिर्जापुर उत्तरी वि0ख0 मछरेहटा जिला सीतापुर की मृत्यु प्रामण पत्र भी संलग्न है। न्यायालय में उपस्थित होकर उपनिरीक्षक फेरू सिंह सी0डब्लू0–1 द्वारा सम्मन कुलिंदा को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श ग–1 के रूप में प्रमाणित किया गया है तथा ग्राम पंचायत मिर्जापुर उत्तरी के प्रधान द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्श ग–2 के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त मुकेश पुत्र लालजी पासी निवासी मटकुटा थाना मछरेहटा जिला सीतापुर की मृत्यु दिनांक 02–04–2025 को हो गयी है। सम्मन कुलिंदा के हस्तलेख की शिनाख्त के आधार पर उपरोक्त मृत्यु आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मुकेश पुत्र लालजी पासी निवासी मटकुटा थाना मछरेहटा जिला सीतापुर की मृत्यु आख्या स्वीकार की जाती है तथा उसके विरूद्ध इस दाण्डिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश कुमार नागर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0),
सीतापुर।
02–06–2026

Digitally signed by Dinesh Kumar Nagar
Date: 2026.06.02 14:36:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court Sitapur